फर्द अहकाम

तहसीलदार किशनगढ रेनवाल बनाम हनुमान वगै0

न्यायालयः– उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक
ण संख्याः– 16/18

0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	वि0वि0
		तहसीलदार किशनगढ रेनवाल ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम डूंगरीकला तह0 किशनगढ रेनवाल का पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम डूंगरीकला के खसरा न0 505/1, 505/2, 508/1, 508/2, 508/3 की तरमीम हेतु दिनांक 14.12.17 को प्रार्थना पत्र मय प्रस्तावित नजरी नक्शें के राजस्व रिकोर्ड में उक्त खसंरा नम्बरान के खातेदारान ने प्रा0पत्र तहसीलदार कि0रेनवाल को तरमीम हेतु प्रस्तुत किया। जिस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रैस एवं पटवारी हल्का, गिरदावर हल्का से कार्यालय तहसीलदार भू0अ0 कि0रेनवाल ने प्रा0पत्र दिनांक 14.12.17 के अनुसार उपरोक्त खसरा नम्बरान के मौके अनुसार तरमीम की जाकर मय नजरी नक्शा के साथ रिपोर्ट उक्त प्रकरण में प्रस्तुत की। जिस पर उक्त प्रकरण को दिनांक 13.06.18 को सुना जाकर व मौके पर उपस्थित खातेदार सागरमल ने भी उक्त प्रकरण में नजरी नक्शें के अनुसार तरमीम किये जाने में कोई आपति नहीं की है का जवाब भी प्रस्तुत किया। अतः उक्त पत्रावली का अवलोकन कर उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर वाकै ग्राम डूंगरीकला तह0 किशनगढ रेनवाल के आराजी ख0न0 505/1, 505/2, 508/1, 508/2, 508/3 के खातेदारों की मौके पर कब्जें के अनुसार एवं खातेदार सागरमल की सहमति एवं तहसीलदार किशनगढ रेनवाल की अनुशंसा के आधार पर किस्म भूमि मौका स्थिति अनुसार अंकित की जाकर प्रस्तावित तरमीम अनुसार नक्शे में लाल स्याही से तरमीम की जावें। तहसीलदार किशनगढ रेनवाल को आदेश की प्रति एवं रिपोर्ट पर ही प्रस्तावित नक्शे की एक प्रति अमल दरामद हेतु भेजी जावें। निर्णय आज दिनांक 13.06.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner